

मांग संख्या 81
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार मूलभूत सेवाओं के लिये नगरीय निकायों को दिये जाने वाले अनुदान हेतु रूपये 511.00 लाख के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,11,00,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 2

प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरीय स्थानीय निकायों को रूपये 4763.00 लाख का अतिरिक्त अनुदान दिया जाना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 47,63,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।